



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-95

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 306882 दिनांक 23/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Yash Dalmia S/o SATISH KUMAR DALMIA	श्रीमती विद्यावती शर्मा पत्नी श्री मुरारी लाल शर्मा	65	120.00 SQ. METER	JDA	PITAMBRA YOJANA Sector/Block-A	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की आवासीय योजना पिताम्बरा के भूखण्ड सं. ए-65 क्षेत्र. 120.00 वर्ग मी. की लीजडीड श्रीमती विद्यावती शर्मा पत्नी श्री मुरारी लाल शर्मा को दिनांक 23.10.2007 को जारी की गई। उक्त भूखण्ड का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती विद्यावती शर्मा पत्नी श्री मुरारी लाल शर्मा द्वारा श्रीमती दीक्षा मेठानी पत्नी श्री नरेन्द्र मेठानी को दिनांक 06.08.2008 को कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती दीक्षा मेठानी पत्नी श्री



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नरेन्द्र मेठानी
द्वारा श्री यश
डालमिया पुत्र श्री
सतीश कुमार
डालमिया को
दिनांक
23.07.2021 को
कर दिया गया।
आवेदनकर्ता श्री
नरेन्द्र मेठानी
द्वारा श्री यश
डालमिया पुत्र श्री
सतीश कुमार
डालमिया द्वारा
उक्त भूखण्ड की
लीजडीड से फ्री
होल्ड पट्टा बाबत
आवेदन प्रस्तुत
किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Yash Dalmia S/o SATISH KUMAR DALMIA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |